

न्यायालय सभ जिलाधिकारी सदर बरेली

आर स० 32 / 2010-11

अन्तर्गत धारा 143 कायदा 1950 अधिनियम

आराजी ग्राम हैदराबाद उपर्ष खड़ीआ

परगना व तहसील बरेली

शिवशान डिप्टी कलेज मैनेजमेंट टैक्नालॉजी द्वारा प्रबन्धक सुकर लाल बनाम सरकार

न्याय निर्णय 15.12.2011

शिवशान डिप्टी कलेज मैनेजमेंट टैक्नालॉजी द्वारा प्रबन्धक सुकर लाल पुत्र श्री विजय सिंह रागधर निवासी नई बस्ती पटेल नगर खलीलपुर रोड सी०बी०गंज बरेली द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 143 कायदा 1950 अधिनियम अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। जिसकी जांच तहसीलदार सदर बरेली ने कराई गयी। तहसीलदार बरेली की जांचानुसार ग्राम हैदराबाद उपर्ष खड़ीआ परगना व तहसील बरेली के खाला सं० 72 गाटा सं० 739/0.807800 में से 0.303800 तथा खाला सं० 162 गाटा सं० 735 रकबा 0.316800 में से 0.158800 व खाला सं० 220 गाटा सं० 748/1 रकबा 0.354800 में से 0.044800 तथा खाला सं० 240 गाटा सं० 736/1 रकबा 0.036800, 737/1 रकबा 0.083800 व 738/1 रकबा 0.154800 कुल तीन कित्ता रकबा 0.272800 में से 0.170800 कुल 6 कित्ता 1.549800 में से 0.8795800 भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है और न ही बागवानी, कुकुर पालन व मत्स्य पालन का कार्य हो रहा है। भूमि सीके पर अक्षयक है तथा आबादी के प्रयोग में लाया जा रहा है। तदनुसार प्रस्तुत भूमि को अक्षयक घोषित किये जाने की सन्तुष्टि की गयी है।

बाद दर्ज रजिस्टर किया गया। नरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। ग्राम हैदराबाद उपर्ष खड़ीआ परगना व तहसील बरेली के खाला सं० 72 गाटा सं० 739/0.807800 में से 0.303800 तथा खाला सं० 162 गाटा सं० 735 रकबा 0.316800 में से 0.158800, व खाला सं० 220 गाटा सं० 748/1 रकबा 0.354800 में से 0.044800 तथा खाला सं० 240 गाटा सं० 736/1 रकबा 0.036800, 737/1 रकबा 0.083800 व 738/1 रकबा 0.154800 कुल तीन कित्ता रकबा 0.272800 में से 0.170800 कुल 6 कित्ता 1.549800 में से 0.8795800 भूमि में सीके पर कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुकुर पालन का कार्य नहीं हो रहा है। भूमि सीके पर अक्षयक है जो आबादी के प्रयोग में लाया जा रहा है। प्रस्तुत भूमि को तहसीलदार सदर की जांचा एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अक्षयक घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः तहसीलदार बरेली की जांच के अनुसार ग्राम हैदराबाद उपर्ष खड़ीआ परगना व तहसील बरेली के खाला सं० 72 गाटा सं० 739/0.807800 में से 0.303800 तथा खाला सं० 162 गाटा सं० 735 रकबा 0.316800 में से 0.158800 व खाला सं० 220 गाटा सं० 748/1 रकबा 0.354800 में से 0.044800 तथा खाला सं० 240 गाटा सं० 736/1 रकबा 0.036800, 737/1 रकबा 0.083800 व 738/1 रकबा 0.154800 कुल तीन कित्ता रकबा 0.272800 में से 0.170800 कुल 6 कित्ता 1.549800 में से 0.8795800 भूमि को अक्षयक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति सब रजिस्ट्रार बरेली को भेजी जाये। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफ्तर की जाये।

श्री सुकर लाल सुकर लाल
674

(अमरपाल सिंह)
सभ जिलाधिकारी सदर
बरेली।

शिव शान डिप्टी कलेज मैनेजमेंट टैक्नालॉजी
खलीलपुर रोड, पटेल नगर, नई बस्ती
सी०बी० गंज, बरेली

शिव शान डिप्टी कलेज मैनेजमेंट टैक्नालॉजी
खलीलपुर रोड, पटेल नगर, नई बस्ती
सी०बी० गंज, बरेली

भूमि का संयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित महाविद्यालय शिव ज्ञान डिग्री
कालेज (सी.डी.डी. 2, 2010, 2, 2010, 2, 2010) जम्मा 29.35 बीघा 20 गुण्टा
 क्षेत्र सी.डी.डी. राज बरेली के नाम एकत्र अभिलेख
 में दल गटा संख्या 739 क्षेत्रफल 39.35 वर्गमीटर, गटा संख्या 739/
 737/1, 738/ क्षेत्रफल 1700 वर्गमीटर, गटा संख्या 740/
 क्षेत्रफल 1440 वर्गमीटर, गटा संख्या 735
 क्षेत्रफल 1586 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 6755 वर्गमीटर
 एम. हैदराबाद उमि. स्वर्णभाषा परगना व तहसील
बरेली मार क्षेत्र मरार निगम बरेली जम्मा बरेली
 में स्थित है तथा उक्त सभी भू-खण्ड आपस में परस्पर सटे
 हुए हैं तथा महाविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु उपयुक्त है। 2010 सी.डी.डी. 2
 की योजना सं. 2010 2 2010 2 2010

दिनांक

तहसील

जिला

स्थान

जम्मा

(भूतल तथा दिनांक सहित)



जम्मा
 शिव ज्ञान डिग्री महाविद्यालय का भू-खण्ड
 मरार निगम बरेली, मरार निगम, मरार निगम
 बरेली, मरार निगम, बरेली



शिव ज्ञान डिग्री महाविद्यालय का भू-खण्ड
 मरार निगम बरेली, मरार निगम, मरार निगम
 बरेली, मरार निगम, बरेली



जम्मा
 मरार निगम बरेली, मरार निगम, मरार निगम
 बरेली, मरार निगम, बरेली